छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

(छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल की एक उत्तरवर्ती कंपनी)

छत्तीसगढ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 45,62 एवं 86(1)(a) में विहित प्रावधानों एवं छ.रा.वि.नियामक आयोग द्वारा बनाये गये संबंधित विनियमों में विहित विभिन्न प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 के लिये माननीय छत्तीसगढ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष वार्षिक राजस्व आवश्यकता एवं टैरिफ अवधारण याचिका प्रस्तुत की गई है । कम्पनी के अनुमान के अनुसार वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 के लिये राजस्व आवश्यकता क्रमशः रू.4480.94 करोड और रू.4459.79करोड है एवं प्रचलित विद्युत दरों से वर्ष 2009–10 में अपेक्षित राजस्व रू.3635.09 करोड अनुमानित है। इस प्रकार लगभग रू.824.79 करोड की राजस्व की कमी अनुमानित है । अतः कम्पनी द्वारा राजस्व कमी की पूर्ति के लिये विद्युत दरों में तदानुसार वृद्धि प्रस्तावित की है। इस वृद्धि के कारण कम्पनी द्वारा अपने उपभोक्ताओं की कठिनाई को ध्यान में रखकर निम्नदाब के बीपीएल,कृषि, कृषि एलाईड सेवायें एवं कम खपत के घरेलू तथा लघु उद्योगों के विद्युत उपभोक्ताओं की विद्युत दरों में कोई वृद्धि का प्रस्ताव नहीं रखा गया है। उच्चदाब उपभोक्ताओं हेतु प्रचलित विद्युत दरों में वृद्धि का प्रस्ताव है। जिसके कारण विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों में 22.54 प्रतिशत की सकल वृद्धि का प्रस्ताव है। टैरिफ याचिका में प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार प्रचलित दरों एवं प्रस्तावित विद्युत दरों की स्थिति निम्नानुसार है :–

निम्न दाब – टैरिफ

टैरिफ क्र.	उपभोक्ता का वर्ग	उप–वर्ग	प्रचलित टैरिफ			प्रस्तावित टैरिफ		
			स्थिर प्रभार (रूपये में)	उर्जा प्रभार (रूपये प्रति यूनिट)	न्यूनतम स्थिर प्रभार	स्थिर प्रभार (रूपये में)	उर्जा प्रभार (रूपये प्रति यूनिट)	न्यूनतम स्थिर प्रभार
एल.वी–1	घरेलू उपभोक्ता	**1.1 बी.पी.एल. उपभोक्ता**						
		1.1.1 बिना मीटर	––	रू.50/कने./माह	––निरंक ––		यथावत्	
		1.1.2 मीटरयुक्त	0.75 /यूनिट	0.75				
		1.2 अन्य घरेलू(गैर–टेलिस्कोपिक)						
		0–200 यूनिट	0.90/यूनिट	0.70	एक फेस के उपभोक्ताओं के लिये रू.30/–प्रतिमाह एवं थ्री फेस हेतु रू.100/–प्रतिमाह			एक फेस के उपभोक्ताओं के लिये रू.30/–प्रतिमाह एवं थ्री फेस हेतु रू.100/–प्रतिमाह
		0–500 यूनिट	1.00/यूनिट	0.95			यथावत्	
		0–700 यूनिट	1.20/यूनिट	1.25		1.35 प्रति यूनिट	1.40	
		0–700 यूनिट से अधिक	1.50/यूनिट	1.40		1.75 प्रति यूनिट	1.60	
एल.वी–2	गैर घरेलू(गैर–टेलिस्कोपिक)	2.1 0–500 यूनिट	रू.50/कने./माह	3.70		यथावत		
		2.2 0–500 यूनिट से अधिक	रू.50/किवा./माह	4.00		रू.70/किवा./माह	4.50	

एल.वी–3	कृषि	3.1 मीटरयुक्त कनेक्शन 3.2 फ्लेट रेट	रू.20 / एचपी / माह रू.65 / एचपी / माह	1.00 0.00		यथावत्		
एल.वी–4	कृषि एलाईड सेवायें, यथा प्लांटेशन मत्स्यपालन,हेचरी,मुर्गीपालन,डेयरी पशु आहार संयंत्र, सेरीकल्चर टिशूकल्चर, एक्वाकल्चर एवं अन्य फूड प्रोसेसिंग इकाई आदि		रू.40 / एचपी / माह	2.40		यथावत		
एल.वी–5	औद्योगिक	5.1 फ्लोर मिल,हॅलर पावरलूम,15 एचपी तक	रू.20.00 / एचपी / माह	2.00	संयोजित भार या अनुबं–धित भार जो भी अधिक हो, पर मांग प्रभार एवं 25 यूनिट प्रति एचपी / माह उर्जा प्रभार	यथावत		
		5.2 अन्य उद्योग						
		5.2.1 25 एचपी तक	रू.50.00 / एचपी / माह	2.50				
		5.2.2 25एचपी से अधिक एवं 100 एचपी तक	रू.80.00 / एचपी / माह	3.00		रू.100.00 / एचपी / माह	3.75	
		5.3 5 से 75 किवा के बीच मांग आधारित टैरिफ	रू.125.00 / किवा / माह	3.00	संविदा मांग पर मांग प्रभार	रू.150.00 / एचपी / माह	3.80	
एल.वी–6	जन उपयोगिता	सडक बत्ती एवं जल प्रदाय	रू. 30 / एचपी / माह या रू. 40 / किवा / माह	1.75		रू. 40 / एचपी / माह या रू. 50 / किवा / माह	2.50	
अति उच्चदाब – टैरिफ								
टैरिफ क्र.	उपभोक्ता का वर्ग		मांग प्रभार रू / केव्हीए / माह	उर्जा प्रभार पैसे / केडब्ल्यूएच	मासिक न्यूनतम प्रभार	मांग प्रभार रू / केव्हीए / माह	उर्जा प्रभार पैसे / केडब्ल्यूएच	मासिक न्यूनतम प्रभार
ई.एच.वी.–1	रेलवे ट्रेक्शन	220 / 132 के.वी	300	2.60		380	3.40	
ई.एच.वी.–2	हैवी इण्स्ट्रीज	220 / 132 केवी	300	3.05		380	3.75	
ई.एच.वी.–3	स्टील इण्डस्ट्रीज	220 / 132 केव्ही	300	2.25		380	3.00	

ई.एच.वी–4	कोयला खान, सीमेंट इण्डस्ट्रीज एवं अन्य उपभोक्ता	220 / 132 केवी	300	3.30		3.80	4.00	
उच्चदाब उपभोक्ता 33 या 11 केव्ही पर								
एच.वी–1	स्टील इण्डस्टीज	33 केव्ही	310	2.30		400	3.05	
एच.वी–2	कोल माइंस एवं सीमेंट उद्योग	33 केव्ही	310	3.35		400	4.10	
एच.वी–3	अन्य उच्चदाब उद्योग	33 केव्ही 11 केव्ही	310 320	2.90 3.00		400 420	3.85 3.95	
एच.वी–4	लो–लोड फैक्टर उद्योग	33 केव्ही 11 केव्ही	155 160	3.30 3.40		200 210	4.20 4.30	
एच.वी–5	आवासीय	33 केव्ही 11 केव्ही	310 320	2.35 2.45		400 420	3.10 3.20	
एच.वी–6	सामान्य प्रयोजन	33 केव्ही 11 केव्ही	310 320	3.35 3.45		400 420	4.20 4.30	
एच.वी–7	सार्वजनिक जल प्रदाय एवं सिंचाई	33 केव्ही 11 केव्ही	150 160	2.00 2.10		200 210	2.90 3.00	
एसपीटी	स्टार्ट अप पॉवर	220 / 132 / 33 / 11 केव्ही	150	3.20		200	4.10	

प्रस्तावित टैरिफ के अन्य विशेष विवरण :–

01 छत्तीसगढ राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा एलवी–1 घरेलू प्रकाश एवं पंखे हेतु वर्तमान चार श्रेणियों के स्थान पर निम्न तीन उप श्रेणियों को प्रस्तावित किया गया है।

0–500 यूनिट

0–1000 यूनिट

0–1000 यूनिट से अधिक

02 यदि उपभोक्ता द्वारा मांग आधारित निम्नदाब टैरिफ का चयन किया जाता है तब छत्तीसगढ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित द्वारा प्रस्तावित किया जाता है कि यह टैरिफ उन्हीं उपभोक्ताओं पर लागू होगा जिनका अधिकतम सम्बद्ध भार 100 एचपी या 75 किलोवाट होगा एवं सभी कनेक्शन जो कि इस वर्ग से अधिक के होंगे को उच्चदाब लेना आवश्यक होगा ।

03 छत्तीसगढ राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा दो प्रकार के उपभोक्ताओं यथा मुर्गीपालन एवं मछली पालन को वर्तमान कृषि एलाईड श्रेणी से कृषि मीटर श्रेणी में स्थानांतरित किये जाने हेतु प्रस्तावित किया जाता है।

04 छत्तीसगढ राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा स्टार्ट अप पॉवर श्रेणी में 400 किलो वोल्ट को भी समाहित करना प्रस्तावित किया जाता है ।

05 छत्तीसगढ राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा निम्नदाब एवं उच्चदाब श्रेणियों के उपभोक्ताओं के सरचार्ज में एकरूपता प्रस्तावित किया जाता है।

06 छत्तीसगढ राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा वर्तमान में प्रस्तावित अतिरिक्त मांग प्रभार का 1.5 गुना को 2 गुना (द्विगुणित) प्रस्तावित करती है जो कि सप्लाई कोड के प्रावधानों के अनुरूप है जो कि विद्युत अधिनियम 2003 की कंडिका 126 उप कंडिका (6) से संबंधित है।

07 माननीय आयोग द्वारा वर्ष 2007–08 हेतु टीओडी टैरिफ लागू की गई जिसमें तीन समय श्रेणियां यथा सामान्य कालखण्ड सायंकालीन उच्च लोड कालखण्ड तथा उच्च लोड रहित कालखण्ड जिसपर छत्तीसगढ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित दो श्रेणियां यथा सामान्य कालखण्ड तथा उच्च लोड कालखण्ड प्रस्तावित करता है।

08 **व्हीलिंग दरें :–**

प्रस्तावित दर	वर्तमान दर
6 प्रतिशत क्षतिपूर्ति	6 प्रतिशत क्षतिपूर्ति
19 पैसे प्रति यूनिट	15 पैसे प्रति यूनिट

09 **क्रास सब्सिडी दरें :–**

श्रेणी	प्रस्तावित दर	वर्तमान दर
अति उच्चदाब उपभोक्ता	1.15	0.65
उच्चदाब उपभोक्ता	1.19	0.38

कंपनी द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका (अंग्रेजी) की प्रतियां एवं हिन्दी में सारांश की प्रतियां आयोग के कार्यालय विद्युत मण्डल के रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव एवं अंबिकापुर तथा वृत्त कार्यालयों में उपलब्ध हैं इन्हें रू. 300/– (अंग्रेजी) अथवा रू. 50 (हिन्दी) का भुगतान कर किसी भी कार्यालयीन दिवस पर प्राप्त किया जा सकता है। याचिका की प्रति उक्त भुगतान के साथ डाक व्यय हेतु अतिरिक्त रू. 25 के भुगतान पर उक्त कार्यालयों से डाक द्वारा प्राप्त की जा सकती है ।

कंपनी द्वारा प्रस्तुत की गई उक्त याचिका पर आपत्ति या सुझाव देने के इच्छूक व्यक्ति अपने सुझाव/आपत्ति इससे संबंधित दस्तावेजों सहित मुख्य अभियंता (वाणिज्य), छराविविकंमं रायपुर एवं सचिव, छत्तीसगढ राज्य विद्युत नियामक आयोग सिविल लाईन, जी.ई.रोड, रायपुर को इस आम सूचना के प्रकाशित होने के 21 दिनों के भीतर भेज सकते हैं । सुझाव/आपत्तियों की अग्रिम प्रति फैक्स द्वारा नंबर 0771–2574442 पर छ.रा.विद्युत वितरण कंपनी एवं नंबर 0771–4073553 पर आयोग को भेजी जा सकती है । आयोग द्वारा निश्चित की गई रीति, स्थान एवं दिनांक पर आपत्ति दर्ज कराने वाले व्यक्तियों की सुनवाई आयोग द्वारा आवश्यकतानुसार की जावेगी एवं इसकी सूचना अलग से समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित की जायेगी ।

यह सूचना कम्पनी की वेबसाईट www.cseb.gov.in पर भी उपलब्ध है।

प्रबंध निदेशक
छ.रा.विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित
रायपुर

प्रबंध निदेशक
छ.रा.विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित
रायपुर

प्रबंध निदेशक
छ.रा.विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित
रायपुर